न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः– 116/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास, जिला भरतपुर।

..... प्रार्थी

बनाम

श्री बालाजी ग्रिट उद्योग चक गूजर बलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1. कपिलदेव अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश चन्द सिंघल कौम वैश्य नि0 बयाना (भरतपुर)
2. कमलेश पत्नी श्री सुखदेव प्रसाद गुप्ता कौम वैश्य नि0 बयाना (भरतपुर)
3. सुनील बंसल पुत्र श्री रामबाबू बंसल कौम वैश्य निवासी बयाना (भरतपुर)
4. मीना बंसल पुत्र श्री मुकेश बंसल कौम वैश्य निवासी आगरा।
5. नरेश कुमार महावर पुत्र श्री मूलचंद महावर कौम वैश्य निवासी अलवर ।
6. देवेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बच्चूराम गुप्ता नि0 गांधी सेवा सदन बयाना (भरतपुर)
7. प्रेमसिंह अंधाना संचालक स्टोन केशर बालाजी ग्रिट उद्योग चक गूजर बलाई बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. श्रीमती नीलम सिंघल पत्नी श्री मोहनसिंह कौम वैश्य निवासी बाडी जिला धौलपुर।
9. श्रीमती कमलेश गर्ग पत्नी अशोक गर्ग कौम वैश्य निवासी धौलपुर।
10. संजीव गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश वैश्य निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
11. राममूर्ति पत्नी प्रेमसिंह गुर्जर निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
12. जीतेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
13. धर्मेन्द्र पुत्र पुरूषोत्तम वैश्य निवासी खानसूरजापुर रूपवास जिला भरतपुर।

..... अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी रूपवास कमांक भू0रू0/06/888 दिनांक 31.3.2006

उपस्थित

1. पैरोकार सरकार
2. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10.1.2019

प्रार्थी तहसीलदार रूपवास (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 32/1 रकबा 1.02 बीघा किस्म गै0मु0 उद्योग वाकै ग्राम चकगूजरबलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थापित स्टोन केशर (श्री बालाजी ग्रिट उद्योग) हेतु उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा 3480 वर्गमीटर भूमि का भूमि रूपान्तरण आदेश कमांक भू0रू0/06/888 दिनांक 31.3.2006 जारी किया गया था जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हैसियत से यह रैफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद न्यायिक प्रकिया पूर्ति नियत दिनांक को वकील उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने बहस तर्कों में प्रार्थना पत्र रैफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम चकगूजर बलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैंफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। ख0नं0 32/2 रकबा 1.02 किस्म गैरमुमकिन उद्योग वाकै ग्राम चकगूजर बलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 06 के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि में अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के खातेदारी रकबा से 3480 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश कमांक भू0रू0 /06/888 दिनांक 31.3.2006 से औद्योगिक (श्री बालाजी ग्रिट उद्योग) प्रयोजनार्थ किया गया था । जो कि बाद में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 7 से संचालित होकर वर्तमान में किस्म कदीम से परिवर्तित होकर गै0मु0 उद्योग पार्टनर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। यह कि उक्त संपरिवर्तित भूमि में स्थापित स्टोन क्रेशर के उत्तर दिशा में ग्राम गूजरबलाई की आबादी से 600 मीटर की दूरी पर है। अतः स्टोन क्रेशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 के बिन्दु संख्या 4 सी के अनुसार औद्योगिक रूपान्तरण आबादी से 1.5 कि0मी0 की त्रिज्या में दूरी होना आवश्यक है। इसके अलावा मौके पर क्रेशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन क्रेशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही क्रेशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन क्रेशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार रूपवास द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा पारित रूपान्तरण अदेश कमांक राजस्व/06/888 दिनांक 31.3.2006 निरस्त किया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त स्थल पर नियमानुसार स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है। अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 रूपान्तरण आदेश के बाद की है जो इस रूपान्तरण पर लागू नहीं होती है। यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार रूपवास व अन्य राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन क्रेशर की निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रार्थी के द्वारा ग्राम गूजरबलाई की आबादी से 600 मीटर की दूरी पर स्टोन केशर स्थित होना गलत अंकित किया है। वक्त रूपान्तरण तैयार की गई चैक लिस्ट में दूरी को दर्शाया गया है । दौराने रूपान्तरण तैयार चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 19 में प्रस्तावित स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक अर्थात चारो दिशाओं की आबादी को 2 कि0मी0 की दूरी से कम नहीं माना है। इस चैक लिस्ट पर स्वयं तहसीलदार रूपवास के साथ अन्य कर्मचारियान एवं अधिकारियान के हस्ताक्षर मौजूद है। जिसकी बिन्दु संख्या 19 में उक्त स्थल से आबादी दूरी को निर्धारित दूरी होना स्पष्ट किया है। तहसीलदार रूपवास द्वारा बिन्दु संख्या 26 में भी उक्त स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन केशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं केशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन केशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन केशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही केशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन केशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार रूपवास के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है, जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर केशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं केशर से वायु प्रदूषण होना माना है। रूपान्तरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी (एसडीओ) रूपवास ने दौराने रूपान्तरण तहसीलदार रूपवास द्वारा तैयार चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 एवं 26 में उक्त स्थल की दूरी को आबादी से निर्धारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दूरी से अधिक होना ही स्पष्ट किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तहसीलदार द्वारा स्वयं जो कि रैफरेंसकर्ता भी है के द्वारा उक्त रूपान्तरित स्थल को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इस चैक लिस्ट पर तत्कालीन तहसीलदार रूपवास के भी हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही चैक लिस्ट पर उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा बाद जांच एवं मौका निरीक्षण इस रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। यह तथ्य चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 26 में स्पष्ट प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित प्लांट से कोई भी आबादी निर्धारित दूरी के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तैयार चैक लिस्ट से वर्तमान रिपोर्ट का परस्पर विरोधाभासी होना स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2006 में नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज. 6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। इस प्रकरण में भी दौराने रूपान्तरण आदेश एसडीओ/तहसीलदार द्वारा उक्त स्थल को आबादी से 2 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर होना ही माना गया है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डों की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) रूपवास स्वयं के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर यदि कोई विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

10.1.19

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर(राज.)